न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी0ए0/6857/2006/बारां

1– परथा पुत्र नारायण मृतक जरिये विधिक वारिसान

1/1 देवीलाल पुत्र परथा

1/2 रामदयाल पुत्र परथा

1/3 गोपाल पुत्र परथा

1/4 दोलतराम पुत्र परथा

1/5 नन्दकिशोर पुत्र परथा

1/6 शान्ति बाई पुत्री परथा

समस्त जाति कहार निवासी ग्राम सालपुरा तहसील अटरू जिला बारां।

अपीलांटस.....

बनाम

1– छीतरलाल पुत्र मथुरा जाति किराड़ निवासी ग्राम सालुपुरा, तहसील अटरू जिला बारां।

2– नन्दकिशोर जाति किराड़ निवासी ग्राम सालुपुरा, तहसील अटरू जिला बारां।

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अटरू।

रेस्पो0.....

खण्डपीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री जे0के0 पारिक, अभिभाषक अपीलांटस
श्री वैभव कृष्ण पारिक, अभिभाषक अपीलांट्स
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः– 12.10.2023

1– यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा दिनांक 27–10–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद अंतर्गत धारा 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत परीक्षण न्यायालय उप जिला कलेक्टर, अटरू के समक्ष प्रस्तुत कर रेस्पो0 को कब्जे काश्त में दखलअंदाजी ना करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया। इसके बाद ही एक अन्य वाद प्रतिवादी/रेस्पो0 ने 1 एवं 2 द्वारा अंतर्गत धारा 88, 91 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद को आधार मानकर बिना कोई वैधानिक कारण बताये एवं प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा बिना काउन्टर क्लेम पेश किये ही अन्य वाद को आधार मानकर अपीलांट/वादी का वाद अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 31–03–2004 से खारिज कर दिया एवं रेस्पो0/प्रतिवादी का वाद स्वीकार करते हुये उसे खातेदार घोषित करने का आदेश प्रदान कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–03–2004 के विरूद्ध एक अपील अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 27–10–2005 से खारिज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय यथावत रखा। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस प्रकरण में सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अपीलांट द्वारा पूर्व में विवादित भूमि रेस्पो0 के पिता मथुरालाल के रहन रखी थी। जिसे छुड़ाने के लिये उसने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उप जिला कलेक्टर, छबड़ा के समक्ष पेश किया था। जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30–10–1982 से अपीलांट को कब्जा संभलाने के आदेश दिये थे जिसकी पालना में अपीलांट को दिनांक 18–06–1985 को पटवारी हल्का एवं कानूनगो द्वारा कब्जा संभला दिया गया था। इस प्रकार अपीलांट/वादी विवादित भूमि पर कब्जे की दिनांक से काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलांट को कभी–भी बेदखल कर रेस्पो0 ने

कब्जा प्राप्त नहीं किया। राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट की खातेदारी दर्ज है। परंतु परीक्षण न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अपने विधि विरूद्ध निर्णय से यथावत रखा, जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत दावे के साथ ही रेस्पो0/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दावे को गलत रूप से समेकित कर एक ही निर्णय पारित करते हुये रेस्ज्युडीकेटा के आधार पर दावा खारिज कर दिया जबकि दोनों दावों के कॉज ऑफ एक्शन भिन्न–भिन्न है। परीक्षण न्यायालय ने ना तो रेस्ज्युडीकेटा के बारे में एवं ना ही एडवर्स पजेशन के विषय में कोई तनकीयात कायम की है। परीक्षण न्यायालय को उक्त दोनों बिंदुओं पर अलग–अलग तनकीयात कायम करनी चाहिये तथा दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर विवेचन करते हुये निर्णय पारित करना चाहिये था परीक्षण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय को अपीलांट व रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दावे के आधार पर अलग–अलग तनकीयां कायम करनी चाहिये एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबुतो के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था परंतु परीक्षण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 एवं आदेश 41 नियम 1 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया था जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने विधि विरूद्ध निर्णय से यथावत रखा जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेस्पो0 द्वारा प्रतिकूल कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया और ना ही उन्होने प्रतिकूल कब्जा साबित किया है। इसलिये रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि प्रतिकूल कब्जा निरंतर कब्जा काश्त के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया जाना आवश्यक होता है परंतु परीक्षण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये प्रतिकूल कब्जे के आधार पर रेस्पो0 को खातेदारी प्रदान कर दी जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यथावत रखा जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों दावों का निस्तारण अपने एक ही निर्णय दिनांक 31–03–2004 के द्वारा किया गया है। इस स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा एक ही निर्णय एवं एक ही डिक्री पारित किये जाने के कारण अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय में एक ही अपील प्रस्तुत की गई थी इसलिये रेस्पो0 का यह कहना निराधार है कि अपीलांट/वादी को दो

दावों की दो अलग–अलग अपील पेश की जानी चाहिये थी। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक 2022(1) डी0एन0जे0 पेज 259, 2023(1) आर0आर0टी0 पेज 227, 2021(4) डब्ल्यु0एल0सी0(एस0सी0) पेज 193, 2008(3) डब्ल्यु0एल0सी0(एस0सी0) पेज 419, 2011(2) आर0आर0टी0 पेज 721, 2021 आर0बी0जे0 पेज 270, 2020(1) आर0आर0टी0 पेज 446, 2019 डी0एन0जे0 पेज 28, 2011(1) आर0आर0टी0 पेज 315, 2014–2015 आर0आर0टी0 पेज 664, 2016 डी0एन0जे0 पेज 193, 2015 डी0एन0जे0(एस0सी0) पेज 1065, 2010 आर0बी0जे0 पेज 207, 2004 आर0आर0डी0 पेज 550, 1996 डी0एन0जे0(एस0सी0) पेज 46 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये हस्तगत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलांट/वादी ने धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक दावा पेश किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30–11–1982 से स्वीकार किया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो0/प्रतिवादी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील पेश की गई थी। जिसे अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया था। जिस पर परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24–10–1986 से अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया था। जिसके विरूद्ध अपीलांट/वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी एंव राजस्व मंडल में अपील प्रस्तुत की जिसे दोनों न्यायालयों ने खारिज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–10–1986 यथावत रखा। प्रकरण के राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष विचाराधीन रहने के दौरान मथुरालाल जो रेस्पो0/प्रतिवादी का पिता है, की मृत्यु हो जाने के कारण दावा अबेटमेंट में खारिज हो गया था। परंतु अपीलांट/वादी ने विवादित भूमि के विषय में ही पुनः परीक्षण न्यायालय में एक नया दावा पेश किया जिसमें विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने के कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने रेस्ज्युडीकेटा के आधार पर दावा विधिसम्मत रूप से खारिज किया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पर 20 वर्षो से कब्जा काश्त होने के तथ्य को स्वयं अपीलांट/वादी अपने वाद में स्वीकार किया है। जंहा तक अपीलांट/वादी को कब्जा संभलाये जाने का प्रश्न है तो उक्त तथ्य भी गलत है क्योंकि वर्ष 1985 में भौतिक रूप से कब्जा नहीं संभला कर कागजी

कार्यवाही की गयी थी। अपीलांट/वादी वर्ष 1981 में प्रस्तुत प्रार्थना पर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में 20 वर्ष से विवादित भूमि पर रेस्पो0/प्रतिवादी का कब्जा माना है। धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अतिक्रमी को बेदखल कर पुनः कब्जा संभलाये जाने हेतु आवेदन पेश करने की अधिकतम मियाद 12 वर्ष है तथा 12 वर्ष पश्चात स्वतः ही खारिज माना जायेगा। परीक्षण न्यायालय ने पूर्व विवेचन व विश्लेषण करने के पश्चात ही विधिवत रूप से अपना निर्णय पारित किया है जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अपनी निर्णय से यथावत रखा है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि के विषय में समान पक्षकारान के मध्य ही पुनः दावा पेश किये जाने पर धारा 11 सी0पी0सी0 में वर्णित रेस्जूडिकेटा के प्रावधान लागू होगे अर्थात पहले दावे में उन्ही पक्षकारों के बीच निर्णय अगले दावे में बंधनकारी होगा। विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि यदि किसी पक्षकार का किसी भूमि पर 12 वर्षों से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा हो तो ऐसा पक्षकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। चूंकि इस प्रकरण में रेस्पो/प्रतिवादी का विवादित भूमि पर विगत 50 वर्षो से अधिक समय से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। परीक्षण न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के संबंध में तनकी कायम कर उक्त तनकी का पूर्ण विवचेन करते हुये रेस्पो0/प्रतिवादी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया है। जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय से यथावत रखा है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुये अपीलीय न्यायालय का निर्णय बहाल रखने बाबत निवेदन किया।

6– हमने उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड एवं विधिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

7– रेस्पो0/प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा दो पृथक–पृथक दावों का निर्णय किये जाने के कारण इसके संबंध में अपीलांट पक्ष को दो पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों दावों का निस्तारण अपने एक ही निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–03–2004 के द्वारा किया गया है। उक्त निर्णय दिनांक 31–03–2004

के द्वारा ही परीक्षण न्यायालय ने सभी तनकीयों का निर्णय किया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने निम्नानुसार विधिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। 2022(1) डी0एन0जे0 पेज 459 पर यह अभिलेखित किया गया हैः–

> Civil Procedure Code, 1908-0. 20 R. 5 & O. 20 R. 19 (2) Declaration and partition--Appellant/defendant filed written statement alongwith counter claim-Counter claim decreed and eviction of plaintiffs ordered-Revenue Appellate Authority set aside the judgment and remanded the case-One appeal was not maintainable is not acceptable-When the Trial Court passed one judgment and decree, two appeals were not necessary--- Suit not decided issue wise-Plaintiff was not given opportunity to file reply to the counter claim- Held, No illegality in the judgement passed by the Revenue Appellate Authority.

उक्त विधिक स्थिति के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में एक ही निर्णय एवं एक ही डिक्री पारित की जाने के आधार पर उसकी एक ही अपील की जानी अपेक्षित होती है।

8– इस प्रकरण के संपूर्ण विवेचन व विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य पूर्व में एक विचाराधीन वाद अंतर्गत धारा 183ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से संबंधित था जिसमें परीक्षण न्यायालय उप जिला कलेक्टर, छबडा ने अपने निर्णय दिनांक 30.10.1982 के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि :–

> ‘‘इस प्रकार उक्त विवेचन से न तो वादी रहन सिद्व कर पाया है और ना ही प्रतिवादी उक्त भूमि की खरीद करना सिद्व कर पाया है। अतः हो सकता है कि प्रतिवादी का उक्त भूमि पर परमीसिव पजेशन रहा हो किन्तु जब वादी ने उससे विवादग्रस्त आराजी का कब्जा छोडने को कहा और प्रतिवादी ने कब्जा नहीं छोडा तब से प्रतिवादी का उक्त आराजी पर कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से हो जाता है। अतएवं प्रतिवादी को विवादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है।
>
> तहसीलदार, अटरू को लिखा जावे कि प्रतिवादी श्री मथुरालाल पुत्र छप्पल कराड को विवादग्रस्त आराजी ख0न0 46 रकबा 5 बीघा से बेदखल कर वादी श्री परथा पुत्र नारायण कहार साकिन सालपुरा को अविलम्ब कब्जा दिलाकर पालना रिपोर्ट पेश करे।’’

परीक्षण न्यायालय उप जिला कलेक्टर, छबडा द्वारा पारित उक्त निर्णय की पालना में संबंधित गिरदावर व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.6.85 को अपीलांट/वादी पक्ष को ग्राम के अन्य उपस्थित मुतबिरान के समक्ष विवादित आराजी का कब्जा सुपुर्द किया गया था। उक्त कब्जा सुपुर्द करने के संबंध में

तैयार किया गया दखलनामा भी ई0एक्स0पी–1 पत्रावली में संलग्न है। उक्त दखलनामे से अपीलांट/वादी पक्ष को प्रदत कब्जे के पश्चात किसी सक्षम न्यायालय के किसी सक्षम आदेश से उक्त प्रदत्त कब्जे को अपीलांट/वादी पक्ष से लेकर वापस रेस्पो0/प्रतिवादी पक्ष को सुपुर्द किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं किया गया। इस प्रकार दिनांक 18–06–1985 के पश्चात विवादित भूमि का कब्जा काश्त अपीलांट/वादी का ही विधिक रूप से स्वीकार योग्य होना पाया जाता है। जहां तक वर्तमान अपील एवं वाद प्रकरण में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देने का प्रश्न है उसके संबंध में रेस्पो0/प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिकूल कब्जे के प्रारंभ की तिथि एवं निरंतर प्रत्येक वर्ष के कब्जे को दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य से पुष्ट व सिद्ध नहीं किया गया है। इसके उपरांत भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादग्रस्त भूमियों के संबंध में रेस्पो0/प्रतिवादी पक्ष के प्रतिकूल कब्जे की सिद्धी एवं निष्कर्ष पर पहुँचना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2011(2) आर0आर0टी0 पेज 721 में निम्नानुसार उद्धरित किया गया है :–

> '' Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 232-Limitation Act, 1963– Article 64 & 65-Reference-Khatedari rights whether can be conferred on the basis of the adverse possession-Provisions of Limitation Act have limited applicability to matters relating to Tenancy Act-No provision to confer tenancy rights on the basis of the adverse possession & Courts can not conferred the tenancy rights-BOR has no legislative power to lay down a new law-Held, No tenancy rights can be conferred on the basis of adverse possession.''

इस प्रकार अपीलांट/वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांतों और प्रचलित विधि के अनुसार भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना पूर्णतः विधि विरूद्ध है। परिणामस्वरूप दोनों अधीनस्थ न्यायालयों क्रमशः भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 27–10–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, अटरू का निर्णय दिनांक 31–03–2004 द्वारा विवादित भूमियों में रेस्पो0/प्रतिवादी का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं पुष्टि की गई है जिसे विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है।

9– पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि रेस्पो0/प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादग्रस्त भूमियों को किसी भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, गिफ्ट डीड या विल के माध्यम से प्राप्त किया गया हो यह प्रमाणित नहीं होता है। वादगस्त भूमियां रेस्पो0/प्रतिवादी पक्ष को किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन/नियमन किया गया हो ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियों के संबंध मे रेस्पो0/प्रतिवादी पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार से खातेदारी या विधिक अधिकार अर्जित किये जाने की पुष्टि नहीं होती है।

10– विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य विभिन्न समयावधि में न्यायालय में पृथक–पृथक दो वाद विचाराधीन रहे है। उनमें से पक्षकारों के मध्य विचाराधीन एक वाद अंतर्गत धारा 183–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के संबंध में पूर्व में विभिन्न स्तर पर न्यायालयों ने निर्णय पारित किये है। उक्त मूल निर्णय के संबधं में उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण को अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा रिमाण्ड करने के पश्चात अपना निर्णय प्रकरण के मियाद बाहर होने के आधार पर वाद को खारिज करने का किया गया था। उक्त निर्णय की पुनः राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील पेश करने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20–08–1988 में उनके यहां विचाराधीन अपील में मृतक रेस्पो0/प्रतिवादी के विधिक वारिसानों को रिकॉर्ड पर लेने के लिये समय पर प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के आधार पर अपील को अबेटमेंट के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा विलंब की समयावधि को कन्डोन नहीं किया गया और उक्त विचाराधीन अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं किया गया। इस स्थिति में विवादित भूमियों के संबंध में पक्षकारों के मध्य विचाराधीन वर्तमान वाद का पूर्व वाद के निर्णय के आधार पर पूर्व न्याय के सिद्धांत (Res-judicata) के आधार पर खारिज किये जाने को विधिसंगत एवं न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व वाद धारा 183–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का विचाराधीन रहा था। जबकि वर्तमान वाद धारा 92–ए , 188 और 88, 91 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विचाराधीन चल रहा है। इस संबंध में अपीलांट ने पूर्व अंकित अनुसार विभिन्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है। 2016 डी0एन0जे0 पेज 193 में यह अभिलेखित किया गया हैः–

> Civil Procedure Code, 1908-0. 7, R. 11; Secs. 151, 11-Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 53-Application filed to dismiss the suit being barred by law-Application rejected-Earlier suit was dismissed in default-Merits of the case not considered-Suit for partition. No copy of plaint and written statement, of earlier suit is available -Partition suit must be decided on merits-It should not be dismissed in default-Fresh suit is not barred if earlier was not decided on merits and rights have not been decided-Held, Revision is not maintainable and liable to be dismissed. [Para7, 8]

2015 डी0एन0जे0(एस0सी0) पेज 1065 पर यह अभिलेखित किया गया हैः–

> Civil Procedure Code, 1908-Sec. 11---Res judicata--Reliefs claimed in two suits were not identical nor the parties were same in the suits-First suit was not decided on merits and dismissed for nonjoinder of necessary parties-Held, Subsequent suit was not barred by resjudicata.

1996 डी0एन0जे0(एस0सी0) पेज 46 पर यह अभिलेखित किया गया हैः–

> Civil Procedure Code, 1908-Sec. 11-Exp. IV-Res judicata-Dismissal of suit on technical ground-Decision not based on merit-Head, Res judicata will not apply in subsequent suit.

उक्त समस्त विधिक दृष्टांतों के आधार पर पूर्व वाद के विधिक प्रावधान एवं अनुतोष वर्तमान वाद के विधिक प्रावधान एवं अनुतोष से भिन्न होने के कारण इस संबंध में पूर्व न्याय का सिद्धांत (Res-judicata) न तो लागू होने योग्य पाया जाता है और न ही वर्तमान वाद खारिज होने योग्य पाया जाता है।

11– इस प्रकार विवादित भूमियों के संबंध में विचाराधीन वाद व अपील में वर्णित समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के संबंध में विवाद्यक बिन्दुओं का उपरोक्तानुसार संपूर्ण परीक्षण, विवेचन एवं पत्रावली पर संलग्न साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत हम इस विधिक निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपीलांट/वादी विवादित भूमि के प्रारंभ से ही निरंतर विधिक रूप से रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार सिद्ध होना पाये जाते है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों क्रमशः न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा

दिनांक 27–10–2005 एवं न्यायालय उप जिला कलेक्टर, अटरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–03–2004 विधि विरूद्ध पाये जाते है।

12– परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा अंतर्गत धारा 92–ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य सिद्व होते है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों क्रमशः न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 27–10–2005 एवं न्यायालय उप जिला कलेक्टर, अटरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–03–2004 विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाते है। अपीलांट/वादी पक्ष की अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 और उससे संबंधित वाद अंतर्गत धारा 92–ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य होन से स्वीकार किये जाते है। रेस्पो0/प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्ररकण संख्या 45/2002 अंतर्गत धारा 188व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के निर्णय दिनांक 31.03.2004 में अंकित अपीलांट/वादी पक्ष की खातेदारी भूमि ग्राम सालपुरा के ख0न0 77/376 रकबा 0.10 है0 एवं ख0न0 78 रकबा 0.70है0 कुल किता दो कुल रकबा 0.80है0 भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण, दखंलदाजी व हस्तक्षेप नहीं करे।

13– निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष